न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/03/2021 जीसीएमएस नं0 2021/3

प्रवेश तिथि 06.01.2021

अपीलार्थी बनाम **प्रत्यर्थी**

श्री संतोष मीना,
निवासी 9/743, लोधी कॉलोनी,
नई दिल्ली–110003

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.01.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 10.11.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से जिला कलक्टर अलवर के निर्देश पत्र दि0 30.09.20 की पालना में खसरा नं. 58/2 ग्राम सैमला रकबा 14 बिस्वा/0.17 है0 सार्वजनिक सरकारी भूमि पर सुखराम पुत्र भौमा मीना द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है, कार्यवाही करने के संबंध में कोई रिपोर्ट जिला कलक्टर अलवर को प्रेषित की गई है, यदि हा तो उसकी सत्यापित प्रति एवं खसरा नं0 58/2 गग्रम सैमला रकबा 14 बिस्वा/0.17 है0 सार्वजनिक सरकारी भूमि पर सुखराम पुत्र भौमा मीना द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक पुलिस ज़ाब्ता उपलब्ध कराने हेतु आपके पत्र क्रमांक–8883 दि0 21.10.2020 जारी किया, यदि हा तो उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने बाबत अनुरोध किया गया था।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 10.11.2020 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 23.12.2020 (न्याया0 को प्राप्त दि0 05.01.2021) के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2021/28–29 दिनांकः 06.01.2021 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 21.01.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

से जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।

7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक आर.टी.आई./2021/431–32 दिनांक 19.01.2021 से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 10.11.2020 के क्रम में जवाब नोटिस पत्रांक आर.टी.आई./2021/431–32 दिनांक 19.01.2021 के माध्यम अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा पेश प्रथम आवेदन दि0 10.11.2020 (प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त दि0 23.11.2020) के द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि में बिन्दूवार कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2020/13137 दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से बिन्दू सं0 01 व 02 के संबंध में बिन्दूवार सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग पत्रांक आरटीआई/2020/13137 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है।

9. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।

10. आज दिनांकः 28.01.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)